कार्यालय, जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– उपायुक्त, सिमडेगा

आम–सूचना

सिमडेगा जिला के 18–19 आयु वर्ग के निर्वाचकों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 23/2011/ERS दिनांक 13.12.2011 के आलोक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रांची ने 01.01.2012 को अहर्त्ता तिथि मानकर 05.01.2012 से 15.01.2012 तक 18–19 आयु वर्ग में वैसे युवक युवतियों को नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन देने का विशेष कार्यक्रम निर्धारित किया है।

अतः 18–19 आयु वर्ग के सिमडेगा जिला के वैसे युवक एवं युवतियों जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा अभी तक दर्ज कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नहीं किया गया है अपने क्षेत्र/गांव के मतदान केन्द में प्रतिनियुक्त बी0एल0ओ0 को प्रपत्र–6 में आवेदन दे सकते हैं। आवेदक प्रपत्र–6 के सभी कॉलम ठीक–ठीक भरेंगे, अगर कठिनाई हो तो बी0एल0ओ0/ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक/सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से मदद ले सकते हैं। आवेदन प्रपत्र–6 में हाल का पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटो संलग्न होना चाहिए साथ ही उम्र को दर्शाने वाले कोई वैध दस्तावेज का अभिप्रमाणित प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न रहना आवश्यक है। इस संबंध में विशेष जानकारी बी0एल0ओ0 देंगे।

सिमडेगा जिला के युवक एवं विशेषकर युवतियों से आग्रह है कि इस अवसर का लाभ उठावें तथा लोकतंत्र को मजबूत करने में भागीदार बनें।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
–सह– उपायुक्त, सिमडेगा